(This is first draft of translation not to be treated as official)

स्वच्छता पर तीसरी दक्षिण एशिया वार्ता
सम्मान एवं स्वास्थ्य के लिये स्वच्छता
नवम्बर १६-२१, २००८, विज्ञान भवन, नई दिल्ली, भारत

दिल्ली घोषणा-पत्र

हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका से स्वच्छता पर तृतीय दक्षिण एशिया वार्ता जिसमें मंत्री, चुने हुये प्रतिनिधि, शासकीय अधिकारी, प्रोफेसनल्स, एकेडेमिक्स, नागर समाज, गैर सरकारी संस्थायें, समुदाय आधारित संगठन, विकास के भागीदार और निजी क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे थे, में भागीदारी करने वाले दलों के प्रमुख यह घोषणा करते हैं कि :

1. स्वच्छता एवं सुरक्षित पेयजल तक पहुँच को एक आधारभूत अधिकार के रुप में स्वीकार करते हैं और इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के रुप में देखते हैं।

2. स्वच्छता के लिये तय राष्ट्रीय एवं सदी के विकास लक्ष्यों को सभी भागीदारी कर रहे दक्षिण एसियायी देशों में एक समय सीमा में प्राप्त करने के लिये अपना वादा सुनिश्चित करते हैं।

3. इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे देशों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत समुदायों में सम्पूर्ण एवं दिकाउ स्वच्छता को प्राप्त करना संभव है साथ ही यह ढाका २००३ में हुई सेकोसेन - १ और इस्लामाबाद २००६ में हुई सेकोसेन - २ में हमारे द्वारा तय किया गया एक प्रमुख लक्ष्य है।

4. हम निम्नलिखित प्रमुख सिद्धान्तों और विशप विन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं और अपने किये गये वादे को पुनः याद करते हैं जिनका कियान्वयन परिवार, स्थानीय, उपराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति की गति को वढाकर एवं स्वच्छता के लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करने के लिये किया जाना है।

   a) वर्तमान और भविष्य की पीढी के लिये साफ हवा, मिट्टी और सुरक्षित जल स्त्रोंतों से युक्त एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चत करना।

   b) सभी स्तरों पर सभी स्टेक होल्डर विशपकर स्थानीय प्रशासन, समुदाय एवं स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले समूहों के समन्वित प्रयास के द्वारा सभी के लिये स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना।

   c) स्वच्छता को केवल संरचना या वित्तीय अड़चनों के रुप में ही नहीं देखा जा सकता वल्कि इसे पाने के लिये प्रभावी नीति, व्यवहार परिवर्तन के लिये ढांचागत एवं समयवद्ध प्रोत्साहन, धार्मिक नेताओं, समुदायों, संस्थाओं जैसे स्कूल आदि, स्थानीय प्रशासन एवं

सेवादाताओं की आवश्यकता होगी। साथ ही प्रेरित करने, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिये इनकी क्षमताओं और जबावदेही को मजबूत करने की आवश्यकता है।

d) स्वच्छता की समझ को एक पूरे चक्र के रुप में समझना जिसमें समुचित व्यवस्था, सुरक्षित परिवहन और सुरक्षित निस्पादन/तरल एवं ठोस के पुर्नउपयोग ;एसे उपायों को जोड़ना जिनका जमीन एवं जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता होद्ध एवं स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहार शामिल हैं।

e) स्वच्छता की व्यवस्थाओं एवं सेवाओं के लिये एक एसी श्रेणी उपलव्ध हो, जिसमें से चुनाव किया जा सके। सभी की स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच को समुचित बजट नीति, सक्रिय भागीदारी, योगदान, निर्णय लेने में भागीदारी एवं समुदाय के स्वामित्व के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है।

f) गरीबों एवं मुश्किल इलाकों में निवासरत व्यक्तियों के लिये प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान किया जायेगा।

g) महिलाओं एवं परेशानियों में घिरे समूहों जैसे शिशु, बच्चे विशेपकर बालिकायें, विकलांगता वाले व्यक्तियों, बुजुर्गोंद्ध की जरुरतों और चिन्ताओं को प्राथमिकता पर लेकर हल किया जायेगा। नवीन तरीकों जैसे स्वसहायता समूहों के द्वारा माइक्रोफाइनेन्स को प्रभावी तरीके से वढावा दिया जायेगा।

h) सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़े परिवारों को समूह के रुप में संगठित करने के लिये प्रेरित किया जायेगा और उन्हें स्वच्छता एवं अन्य विकास कार्यक्रमों तक पहुँच वढ़ाने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

i) महिलाओं की स्वच्छता सम्बन्धी विशेष जरुरतों जैसे मासिकधर्म से जुड़ी स्वच्छता का प्रबंधनद्ध को योजना, क्रियान्वयन, निगरानी एवं कार्यक्रम के प्रभावों को नापने में शामिल किया जायेगा। समुदाय में स्वच्छता एवं साफ-सफाई के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को वढ़ाया जायेगा।

j) स्कूलों में स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाओं को वढाने पर जोर दिया जायेगा जैसे लड़के एवं लड़कियों के लिये अलग अलग सुविधायें जिसमें सुरक्षित पेयजल एवं बाल-मित्र सुविधायें हों। स्वच्छता सम्बन्धी अच्छे व्यवहारों को वढाने और सेवाओं के उपयोग को बनाये रखने के लिये स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में ाामिल किया जायेगा।

k) क्षमताओं को वढाने, अच्छे व्यवहारों सम्बन्धी जानकारी के आदान प्रदान और स्वतन्त्र निगरानी पद्दति को वढाने के लिये देशों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत किया जायेगा।

l) स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण के लिये मांग पैदा करने और अच्छे स्वास्थ्यकर व्यवहारों के वढाने के लिये मीडिया एवं सूचना एवं संचार तकनीकों को साथ लेकर

व्यवहार परिवर्तन, संचार एवं सूचनाओं के आदान प्रदान को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जायेगा।

m) स्वच्छता सम्बन्धी जरुरतों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सम्बन्धित नीतियों में समन्वित किया जायेगा और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा।

n) एसी तकनीकी जैसे जिसमें कम पानी का उपयोग हो या पानी का उपयोग न हो, मानव अपशिष्ट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट के पुनः उपयोग एवं पुनःचक्रीकरण जिसमें ऊर्जा का उत्पादन भी शामिल है, के उपयोग को वढावा दिया जायेगा।

o) स्वच्छता के मापदण्डों के विकास, तकनीकी एवं एसे उत्पादों जो उपयुक्त, वहन करने योग्य, पर्यावरण-मित्र एवं आसानी से पहुँच में हों, को विकसित करने में निजी क्षेत्र के साथ समन्वय ;जिसमें टायेलट एसोशियेसन, स्वच्छता सामग्री एवं सेवा प्रदाता भी ामिल हैंद्ध स्थापित किया जायेगा।

p) मानव अपशिष्ट एवं अन्य सभी प्रकार के ठोस एवं तरल अपशिष्टों जिसमें चिकित्सकीय, औद्योगिक एवं व्यावसायिक अपशिष्ट भी शामिल हैं के सुरक्षित प्रबंधन उपचार एवं निष्पादन सहितद्ध के लिये सिटी वाइड तरीके को अपनाया जायेगा।

q) समन्वित सिटी वाइड स्वच्छता योजना का एक महत्वपूर्ण भाग, शहरी क्षेत्र के गरीबों, विशप रूप से गन्दी बस्तियों में निवासरत परिवारों की सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच वनाने में मदद करना एवं सहयोग प्रदान करना होगा।

r) स्वच्छता के कार्य में जुड़े हुये व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी जायेगी और उनके सम्मान को वढानें के उपाय किये जायेंगे।

कार्यवाही एवं वचनवद्धता

इस अर्न्तराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष २००८ में हम स्वच्छता से सम्बन्धित राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं सदी के विकास लक्ष्यों को एक समयवद्ध ढंग से प्राप्त करने के लिये अपनी प्रतिवद्धता देते हैं और इसके लिये निम्न कार्यवाहियां करेंगे:

1. स्वच्छता की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में निरंतरता बनाये रखने के लिये नीति, बजट आवंटन, मानव संसाधन और क्रियान्वयन को लेकर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर नियमित एडवोकेसी एवं जागरूकता की जायेगी।

2. स्थाई स्वच्छता समाधानों के लिये एक साथ सहभागी के रूप में कार्य करने के लिये समुदाय के प्रयासों को मजबूत करना और स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संस्थाओं, युवा एवं सामुदायिक समूहों की क्षमतावृद्धि करना।

3. व्यवसाय से जुड़े सम्मान, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा स्वच्छता कार्य में लगे व्यक्तियों की कार्य की परिस्थितियों एवं स्थिति में सुधार लाना।

4. समुदाय के सभी सदस्यों विशेषकर बच्चों, बालिकाओं, महिलाओं, वुजुर्गों एवं विकलांगता वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सम्मान एवं सुरक्षा के लिये स्वच्छता को विकास कार्यों की प्राथमिकता में लाना।

5. क्षेत्र, मन्त्रालयों/विभागों, संस्थानों, अधिकार क्षेत्रों ;निजी क्षेत्र, परिवार, स्कूल, समुदाय एवं सामाजिकद्ध एवं सामाजिक राजनैतिक प्रक्रियाओं में स्वच्छता को मुख्य धारा में लाना जिससें कि स्वच्छता सभी के लिये चिन्ता का विशय बने और वे अपने सम्बन्धित कार्यक्रमों में इसे प्राथमिकता पर लायें। ;जैसे रेल्वे, पर्यटन एजेन्सी स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच को बढाना अपने कार्यक्रम का एक हिस्सा बनायें।

6. आपात स्थितियों, आपदा के समय एवं विशिष्ट चरित्र/भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्रों या अस्थाई विस्थापन से जूझ रहे समूहों के लिये पद्दति, तरीके, तकनीकी एवं प्रणाली का विकास एवं क्रियान्वयन करना।

7. दक्षिण एसिया में स्वच्छता के प्रावधानों पर पर्यावरणीय वदलावों के प्रभावों के महत्व पर वैश्विक स्तर पर जनवकालत करना। तथा इन प्रभावों को कम करने के लिये रणनीति एवं तकनीकी का विकास एव क्रियान्वयन करना।

8. स्थानीय परिस्थितियों, प्राथमिकताओं एवं संसाधनों के अनुकूल लचीलापन, विकल्पों में विविधता एवं व्यावहारिक समाधानों को वढावा देना।

9. शोध एवं विकास, समन्वय, नवीन प्रयोगों, अनुभवों एवं विशिष्टताओं के आदान प्रदान के लिये, देश के केन्द्र विन्दुओं द्वारा गठित एक अन्तर-देशीय कार्यकारी समूह समय-समय पर आपस में मिलेगा। जानकारी एवं ज्ञान के आदान प्रदान हेतु राष्ट्र के अन्दर समूहो एवं एजेन्सियों का एक नेटवर्क बनाया जायेगा।

10. सहभागी राष्ट्रों को अपने के देश के लिये २००६ से २०११ की समयावधि के लिये क्रियान्वित की जाने वाली राष्ट्रीय कार्ययोजना को बनाने मे दिशादर्शक भस्वच्छता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये दक्षिण एसिया रोड मैप को उपयोग किया जा सकता है।

तीनों सैकोसैन से जो गति मिली है उसे श्रीलंका में २०१० में आयोजित किये जाने वाले चौथे सैकोसैन और नेपाल में २०१२ में आयोजित किये जाने वाले पांचवे सैकोसैन द्वारा वरकरार रखा जायेगा।

हम भारत की सरकार और लोगों के आभारी हैं, और उन्हें स्वच्छता पर तीसरी दक्षिण एसियाई वार्ता की मेजबानी एवं सफल आयोजन के लिये धन्यवाद देते हैं।

हस्ताक्षर कर्ता:-

गुलाम कादर समन्वयक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम ग्रामीण पुनर्वास एवं विकास मंत्रालय अफगानिस्तान सरकार	शेख खुर्शीद आलम सचिव स्थानीय प्रशासन विभाग स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता मंत्रालय बांग्लादेश सरकार
दाशों डॉव्ह गाडो शेरिंग सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भूटान सरकार	माननीय असलम मोहम्मद ाकिर राज्यमंत्री गृह, यातायात एवं पर्यावरण मंत्रालय मालदीव्स सरकार
माननीय विजय कुमार गछादर मंत्री भौतिक योजना एवं कार्य मंत्रालय नेपाल सरकार	माननीय हमीद उल्लाह जन अफरीदी पर्यावरण राज्य मंत्री पर्यावरण मंत्रालय पाकिस्तान सरकार
माननीय विजयसिंगे हेट्टीएच्ची मुडियनसिलंगे अथूलासारा कुमार नार्थ-वेस्टर्न प्रोविन्स श्रीलंका सरकार	मननीय डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रमीण विकास मंत्री भारत सरकार

स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक मार्गदर्शक दक्षिण एसिया रोडमैप

दक्षिण एसिया में स्वच्छता की समस्या –

1. प्रत्येक दो में से एक दक्षिण एसियाई व्यक्ति अभी भी खुले में शौच या स्वच्छता के अन्य असुरक्षित तरीको के उपयोग के अपमान को सहन करने के लिये मजबूर है।
2. सभी सामाजिक आर्थिक समूहों में स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच और उपयोग में अभी भी बहुत अन्तर है।
3. उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में अभी भी महिलाओं, बालिकाओं, शहरी एवं ग्रामीण गरीबों और संकटग्रस्त समूहों की एक बड़ी संख्या असम्मान, असुविधा, समय और ऊर्जा की बरबादी का शिकार है।
4. दक्षिण एसिया में स्वच्छता की खराब स्थितियों के कारण प्रतिदिन एक बड़ी संख्या में बच्चे मर जाते हैं, और बार-बार बीमारियों का शिकार होने से बच्चे व्यापक रूप से कुपोषण, ाारीरिक एवं मानसिक विकास में कमी से प्रभावित हो रहे हैं।
5. स्वच्छता की खराब स्थितियों के कारण परिवार और राष्ट्र को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और समुदाय को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

लक्ष्य :–

- समय सीमा में राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति
- सदी के विकास लक्ष्य – २०१५ तक – स्वच्छता सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों की संख्या में आधी कमी लाना।

मार्गदर्शक रोडमैप :–

मार्गदर्शक रोडमैप व्यवहारिक एवं नापी जा सकने योग्य कार्यवाहियों का एक ढांचा है, जो देश के द्वारा व्यवस्थित तरीकों से उद्देश्यों को प्राप्त करने पर केन्द्रित है। यह नीतियों, संस्थागत व्यवस्थाओं, जिम्मेदारी और कर्तव्यों एवं कार्यवाहियों के क्रियान्वयन के लिये एक दिशा सूची तैयार करती है जो राष्ट्रो को अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं सदी के विकास लक्ष्यों को २०१२ तक प्राप्त करने के लिये प्राथमिकताओं के निर्धारण में मदद करेगा।

मार्गदर्शक रोडमैप दक्षिण एसियायी देशों के सुरक्षित एवं टिकाऊ स्वच्छता सुविधाओं के लिये किये गये प्रयासों से निकली सीखों, वैश्विक अनुभवों और अर्न्तराष्ट्रीय प्रतिवद्धताओं पर आधारित है।

मार्गदर्शक रोडमैप को राजनेताओं, सरकारों, स्थानीय प्रशासन और क्षेत्र के प्रोफेसनल जन संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, वाह्य मददगार एजेन्सी एवं अन्य स्टेक होल्डर के उपयोग के लिये है जो इसका उपयोग राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं सदी के विकास लक्ष्यों की समयवद्ध प्रगति के आंकलन, परिस्थितियों के विश्लेषण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरों जैसे उपराष्ट्रीय, जिला, शहर एवं स्थानीय प्रशासनद्ध पर मानीटरिंग एवं मूल्यांकन में करेंगी।

प्रत्येक भागीदार देश अपने देश के लिये एक राष्ट्रीय स्वच्छता एक्सन प्लान २००६-१२ तैयार करेगा और सैकोसैन – ३ में निकली कार्यवाहियों एवं प्रतिवद्धताओं को लागू करने के लिये अपने देश के कार्यक्रम में शामिल करने के कदम उठायेगा। रोडमैप दिल्ली घोाणापत्र को लागू करने के

लिये गाइड का काम करेगा। और चौथे सैकोसेन जो २०१० में श्रीलंका में आयोजित होगा तक के लिये प्रगति के मॉनीटरिंग करेगा।